



2026:AHC-LKO:8822-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 86/2026

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग, लखनऊ के माध्यम से और एक अन्य

.....अपिलकर्ता(गण)

बनाम

अभिनंदन सिंह

..... प्रतिवादी(गण)

अपिलकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	: रमेश कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

आई. ए.. सं. 1/ 2026 (विलंब क्षमादान आवेदन)

1. पंडित एस. चंद्र और श्री मनोज कुमार पांडे ने आज प्रतिवादी की ओर से जो वकालतनामा दाखिल किया है, उसे अभिलेख पर लिया गया।
2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
3. अपील में 30 दिन का विलंब हुआ है।
4. हमने विलंब क्षमादान के लिए आवेदन के समर्थन में दाखिल किए गए शपथपत्र का परिशीलन किया।
5. दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, जो पर्याप्त और संतोषजनक हैं, हम अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हैं। इसलिए आवेदन को स्वीकृति दी जाती है

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विशेष अपील पर आदेश

1. इलाहाबाद उच्च-न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय-VIII नियम-5 के अंतर्गत इस विशेष अपील के माध्यम से, राज्य ने 31.10.2025 के उस निर्णय और आदेश को चुनौती दी है, जिसके अंतर्गत प्रतिवादी द्वारा दाखिल की गई रिट-ए सं. 11132/2025 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वीकृति दे दी थी।

2. यह रिट याचिका दिनांक 18.08.2025 के निलंबन आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसके अंतर्गत प्रतिवादी-याचिकाकर्ता, जो बरेली में उप निदेशक, कृषि, के पद पर तैनात थे, को राज्य सरकार द्वारा उल्लिखित कारणों से निलंबित कर दिया गया था।

3. विद्वान एकल न्यायाधीश ने निलंबन आदेश को इस आधार पर अभिखाण्डित कर दिया है कि रिट याचिका के अनुच्छेद-8 में याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से कहा है कि कुछ मामलों से जुड़ी जानकारी/दस्तावेज देने के लिए उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलने पर उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ऐसे दस्तावेज देने के लिए दिनांक 04.06.2025 का एक पत्र जारी किया। इसके अलावा, अधीनस्थ अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को दिनांक 06.06.2025 को ही बताया कि ऐसे दस्तावेज/जानकारी पहले ही दे दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, रिट याचिका के पैरा-8 में कही गई बात को प्रति शपथपत्र के अनुच्छेद -8 और अनुच्छेद -9 में इंकार नहीं किया गया था। इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता पर उन व्यक्तियों के साथ संलिप्त होने का कोई आरोप नहीं है जिनके विरुद्ध शिकायत की गई थी और न ही याचिकाकर्ता पर कोई अवैध रिश्वत लेने का कोई आरोप है। मुख्य आरोप सिर्फ यह था कि उसने जांच कमेटी को आवश्यक दस्तावेज नहीं दिए थे।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश की राय में, जब तक जांच की कार्रवाई में संलिप्तता का संकेत नहीं मिलता, तब तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दीर्घ शास्ति नहीं बनता। ऐसी परिस्थिति में, विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, याचिकाकर्ता को 1999 की नियमावली के नियम-4 के अंतर्गत निलंबित नहीं किया जा सकता था, जिसमें सिर्फ दीर्घ शास्ति दिए जाने की स्थिति में ही सेवा से निलंबित करने का प्रावधान है।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का पूरा आदेश इस गलत तथ्य पर आधारित है कि रिट याचिका के अनुच्छेद-8 में कही गई बातों का खंडन नहीं किया गया था, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रति शपथपत्र में, विशेष रूप से उसके अनुच्छेद-9 में, उनका उचित से खंडन किया गया था। उन्होंने इस संबंध में अनुच्छेद-9 का हवाला दिया है। आगे यह भी कहा गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए यह टिप्पणी करना उचित नहीं था कि वाद के तथ्यों के आधार पर गंभीर दण्ड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह चरण अभी तक नहीं आया था और आरोप पत्र भी जारी नहीं किया गया था। उन्होंने हमारा ध्यान उस आरोप पत्र की ओर दिलाया जो बाद में प्रतिवादी याचिकाकर्ता को जारी किया गया था और उस पर दिनांक 19.01.2026 की तिथि है, जिसमें गंभीर आरोप हैं। उन्होंने हमें कुछ अन्य दस्तावेज और दिनांक 22.05.2025 को संयुक्त निदेशक, कृषि, बरेली डिवीज़न, बरेली का लिखा पत्र भी दिखाया। यह पत्र प्रतिवादी-याचिकाकर्ता समेत अपने अधीनस्थ अधिकारियों को लिखा गया था, जो उप निदेशक, कृषि, बरेली के पद पर तैनात थे। यह पत्र कृषि और "भूसंरक्षण विभाग" में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार और धन के गलत इस्तेमाल के विषय में चल रही जांच से जुड़ी आवश्यक जानकारी देने के लिए लिखा गया था। उन्होंने हमारा ध्यान उसी अधिकारी के दिनांक 03.06.2025 को प्रतिवादी-याचिकाकर्ता और दूसरों को लिखे गए पत्र के साथ-साथ प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के दिनांक 04.06.2025 को अपने अधीनस्थ - श्री अमित कुमार

संधू को लिखे पत्र और प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के दिनांक 04.06.2025 को दूसरे अधीनस्थ - श्री प्रखर सक्सेना को लिखे पत्र की ओर भी दिलाया।

6. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.06.2026 का जो दस्तावेज दिया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह श्री प्रखर सक्सेना ने उन्हें दिया था, उसमें दी गई जानकारी/दस्तावेज बहुत संदिग्ध है, जैसा कि प्रति शपथपत्र के अनुच्छेद-9 में विस्तार में बताया गया है, एक ऐसा तथ्य जिस पर एकल न्यायाधीश ने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा, उन्होंने कहा है कि जहां तक अन्य अधीनस्थ अधिकारी-अमित कुमार सिंधु का सवाल है, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी।

7. तर्क यह है कि बरेली जिले के अधिकारियों से जुड़ी जांच अनुवृत्ति के अनियमित अनुदान, अयोग्य किसानों को डीबीटी अनुदान आदि के संबंध में की जा रही थी, जिसमें भारी गबन और धन का दुरुपयोग शामिल था। इसमें बरेली के कृषि और "भू संरक्षण विभाग" के अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई, लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बावजूद बरेली में इन विभागों के अधिकारियों ने आवश्यक जानकारी/दस्तावेज नहीं दिए, जिस पर आयुक्त, बरेली ने कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा, जैसा कि निलंबन आदेश में ही उल्लेख किया गया है और जिला-बरेली में कृषि विभाग के अधिकारियों के सहयोग न करने के कारण उनके विरुद्ध जांच पूरी नहीं हो सकी, इसलिए इस संदर्भ में संयुक्त निदेशक, बरेली मंडल, बरेली ने संयुक्त निदेशक कृषि, बरेली को दिनांक 06.05.2025, 21.05.2025 और 02.06.2025 के पत्र लिखे, जिन्होंने बदले में, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को आवश्यक जानकारी और दस्तावेज देने के लिए दिनांक 22.05.2025 और 03.06.2025 के पत्र लिखे, जैसे कि दस्तावेज जिला स्तर पर रखे जाते हैं, वह उ प निदेशक, कृषि होने के नाते नियंत्रक प्राधिकारी हैं, लेकिन उक्त पत्रों के बावजूद, वे जानकारी

और दस्तावेज नहीं दिए गए, जैसा कि प्रति शपथपत्र के अनुच्छेद-9 और अनुच्छेद-10 आदि में विस्तार में उल्लेख किया गया है। तर्क यह है कि जिस पूरे आधार पर यह आदेश आधारित है, वह एक तथ्यात्मक त्रुटि है, जैसे कि अनुच्छेद-8 के तथ्यों का खंडन नहीं किया गया है, जबकि प्रति शपथपत्र के अनुच्छेद-9 में उनका खंडन किया गया है। वास्तव में, अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि आज तक जानकारी/दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। वह हमें आरोप पत्र की सामग्री के बारे में भी बता चुके हैं, जो अब जारी हो चुकी है। इस मामले में शामिल अधिकारियों पर भी विभाग के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है।

8. इन सभी कारणों से, अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता। इस मामले के तथ्यों को देखते हुए निलंबन सही था, जिसमें प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों की गंभीरता और यह तथ्य शामिल था कि उन्होंने बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए और यह सुनिश्चित नहीं किया कि उक्त जानकारी/दस्तावेज आवश्यकतानुसार प्रदान किए गए हैं, जो कृषि विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता का संकेत है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विवादित निर्णय में इसके विपरीत कही गई बात भी बिना किसी तथ्य के आधार पर है।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता पं. एस. चन्द्र ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह था कि उन्होंने संयुक्त निदेशक के दिनांक 22.05.2025 और 02.06.2025 के पत्रों पर कार्रवाई नहीं की। प्रस्तुतीकरण यह है कि उन्होंने तुरंत दिनांक 04.06.2026 को अधीनस्थ अधिकारियों को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए पत्र लिखा और अधिकारियों में से एक से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई कि जानकारी

प्रदान की गई थी, इसलिए, उनकी ओर से कोई कदाचार नहीं था, निश्चित रूप से ऐसा नहीं जिसके लिए निलंबन हो सके। उनका यह भी प्रस्तुतीकरण है कि वास्तव में आरोप पत्र स्वयं दिनांक 19.01.2026 को विलंब से जारी किया गया है और पूरे समय प्रतिवादी-याचिकाकर्ता निलंबित रहा है, यहां तक कि निर्वाह भत्ता भी नहीं दिया गया है, इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां इस न्यायालय को एक अंतर-न्यायालय अपील में हस्तक्षेप करना चाहिए, हालांकि, एस चंद्र इस बात से इनकार नहीं कर सके कि रिट याचिका के अनुच्छेद-8 में कही गई बातों को वास्तव में प्रति शपथपत्र के अनुच्छेद-9 में भी इंकार कर दिया गया था।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख अवलोकन करने के बाद, हमारी राय है कि जिस आधार पर एकल न्यायाधिश ने रिट याचिका को अनुमति दी है और निलंबन आदेश को अभिखंडित किया है, वह तथ्यात्मक त्रुटि है, जैसे कि राज्य ने रिट याचिका के अनुच्छेद-8 में किए गए कथन का खंडन नहीं किया। तथ्य यह है कि अनुच्छेद-9 में अनुच्छेद-8 का खंडन करते हुए और श्री प्रखर सक्सेना द्वारा प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को प्रस्तुत किए गए दिनांक 06.06.2025 के दस्तावेज पर संदेह जताते हुए विस्तृत उत्तर दिया गया था। हम इस स्तर पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, सिवाय इसके कि विवादित निर्णय में यह कथन, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता पर उन व्यक्तियों के साथ संलिप्तता का कोई आरोप नहीं है जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है, इसलिए मामले में कोई गंभीर दण्ड नहीं दिया जा सकता, इस स्तर पर उचित नहीं था और जब आदेश पास किया गया था, तब तक आरोप पत्र भी जारी नहीं किया गया था। इसके अलावा, निलंबन आदेश में ही गंभीर आरोप थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को निलंबित क्यों किया जा रहा था। साथ ही, इस तरह की टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह तय करने का चरण कि क्या दण्ड दिया जाना चाहिए, जांच पूरी होने के बाद ही आएगा। इसके अलावा, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच 1999



की नियमावली के अंतर्गत दण्ड देने के लिए नहीं, बल्कि गंभीर दण्ड देने के लिए शुरू की गई थी। इन सभी कारणों से, हमारी राय है कि **31.10.2025 का विवादित निर्णय बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसलिए इसे अभिखंडित किया जाता है।**

11. हमारी राय है कि इस मामले पर विद्वान एकल न्यायाधीश पुनः विचार कर सकते हैं। प्रतिवादी-याचिकाकर्ता और अपीलकर्ता-राज्य के पास जो भी तर्क हैं, वे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अंतरिम स्तर पर या आखिरी में, जैसा भी मामला हो, उठाई और विचार की जा सकती हैं, जिसका अर्थ है कि विद्वान रिट न्यायालय के लिए भी अंतरिम अनुतोष आवेदन पर पुनः विचार करना खुला होगा, हालांकि, ऊपर जो देखा गया है, उसके अधीन।

12. अपील स्वीकार की जाती है।

13. अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से 15 दिनों के भीतर नियमानुसार प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को निर्वाह भत्ता का भुगतान करें, जब तक कि इसका भुगतान पहले ही न किया जा चुका हो। यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह एक ऐसा कारक होगा जिस पर विद्वान रिट न्यायालय विचार करेगा।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

5 फरवरी, 2026

अनुज सिंह